

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

87वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2024 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1	86वीं बैठक दिनांक 05.10.23 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR)
एजेण्डा संख्या – 2	86वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि
एजेण्डा संख्या – 3	विकसित भारत संकल्प यात्रा
एजेण्डा संख्या – 4	(क) घर-घर के.सी.सी. अभियान (ख) किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान (KCC saturation Campaign)
एजेण्डा संख्या – 5	(क) पी.एम. विश्वकर्मा योजना (ख) प्रधानमंत्री जनजातिय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) (ग) शिक्षा ऋण योजना
एजेण्डा संख्या – 6	वार्षिक ऋण योजना 2023-24 में प्राथमिकता क्षेत्र अंतर्गत ऋण उपलब्धि
एजेण्डा संख्या – 7	रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
एजेण्डा संख्या – 8	(क) एन.पी.ए. की समीक्षा (ख) लम्बित वसूली प्रमाणपत्र (R.C.)
एजेण्डा संख्या – 9	नाबार्ड
एजेण्डा संख्या – 10	स्वामित्व कार्ड
एजेण्डा संख्या – 11	बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित गाँव
एजेण्डा संख्या – 12	Land Digitalization
एजेण्डा संख्या – 13	प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत जिला बागेश्वर में ऋण प्रवाह
एजेण्डा संख्या – 14	बाजार की बुद्धिमत्ता (Market Intelligence)
एजेण्डा संख्या – 15	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

86वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2024 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 :

86वीं बैठक दिनांक 05.10.23 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

क्र.	कार्य बिंदु	कृत कार्यवाही
1.	<p>शासन से संबंधित कार्य बिंदु</p> <p>(क) राज्य में कार्यरत बैंकों को Shops & Establishment (S&E) Act में छूट प्रदान किये जाने विषयक शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है। (कार्यवाही : वित्त विभाग)</p> <p>(ख) आर. सी. वसूली में कार्यवाही हेतु समस्त जिला अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जाना है। (कार्यवाही : वित्त विभाग)</p>	<p>(क) उक्त विषयक कृत कार्यवाही की सूचना शासन से प्रतीक्षित है।</p> <p>(ख) उक्त विषयक शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को पत्रांक 501/सी.एम.आर.(5)/स.वि.प्र./2023 दिनांक 28.11.2023 प्रेषित किया गया है।</p>
2.	<p>एस.एल.बी.सी. से संबंधित कार्य बिंदु :</p> <p>(क) राज्य स्तरीय बैंकर्स उप-समितियों की बैठकों का पुर्नगठन किया जाना है।</p> <p>(ख) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समितियों की बैठकों के आयोजन हेतु अर्द्धवार्षिक/वार्षिक कलैण्डर तैयार किया जाना है।</p> <p>(ग) कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की छूट विषयक, पत्र शासन को प्रेषित किया जाना है।</p> <p>(घ) ऋण आवेदन पत्रों के निष्पादन विषयक Standard Operating Procedure (SOP) बनाया जाना है।</p>	<p>(क) उक्त विषयक शासन द्वारा उप-समितियों की बैठकों का पुर्नगठन कर दिया गया है।</p> <p>(ख) एस.एल.बी.सी. की बैठकों का कलैण्डर एस.एल.बी.सी. पोर्टल पर अपलोड है एवं उप-समितियों की बैठकों का कलैण्डर एस.एल.बी.सी. पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।</p> <p>(ग) उक्त विषयक शासन को पत्रांक प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./192 दिनांक 09.10.2023 प्रेषित किया गया है।</p> <p>(घ) एस.एल.बी.सी. द्वारा एम.एस.एम.ई. ऋण हेतु Standard Operating Procedure (SOP) तैयार कर राज्य में कार्यरत प्रमुख बैंकों को उनके सुझाव हेतु ई-मेल के माध्यम से दिनांक 01.12.2023 को प्रेषित किया गया है तथा दिनांक 11.12.2023 को आयोजित ऋण जमा अनुपात उप समिति की बैठक में भी इस विषयक अवगत कराया गया है।</p>
3.	<p>बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु :</p> <p>अन्य सेक्टर की प्रगति के अनुरूप बैंक, अन्य प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत प्रगति दर्ज करेंगे।</p>	<p>बैंकों द्वारा दिनांक 30.09.2023 तक अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 45 प्रतिशत प्रगति दर्ज की है, जो कि दिनांक 30.06.2023 तक 18 प्रतिशत थी।</p>

एजेण्डा संख्या – 2 :

86वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 86वीं बैठक, दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित उप-समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

उप-समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण निम्नवत है :

1. Steering Sub-Committee की बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2023
2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2023

प्रमुख विन्दु –

अध्यक्ष महोदय, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

- एन.आर.एल.एम., पी.एम.एफ.एम.ई., ए.आई.एफ. एवं एन.एल.एम. योजना अंतर्गत निजी बैंकों की प्रगति नगण्य है तथा अधिकांश निजी बैंकों द्वारा बैठक में प्रतिभागिता भी नहीं की जाती है, अतः अनुपस्थित निजी बैंकों को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस विषयक पत्र प्रेषित किया जाय।
- किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान अंतर्गत KCC – Animal Husbandry योजना अंतर्गत Applications not traceable/ Unwilling to avail/ Unaware about the submission of applications की संख्या बहुत अधिक है, अतः विभाग इस विषयक कार्ययोजना बनायें तथा प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करें।
- पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों में सुधार कर पुनः बैंक शाखाओं को उनकी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।
- AIF योजना अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों को Verified करने हेतु विभाग केन्द्र सरकार को पत्र प्रेषित करे।
- कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग एवं मत्स्य पालन विभाग क्रमशः AIF, PMFME, NLM & KCC-AH, KCC-Fishries योजना अंतर्गत, शाखावार एवं बैंकवार लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची प्रत्येक माह एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करे, ताकि सम्बन्धित बैंक नियंत्रकों को सूची प्रेषित कर अनुवर्ती (follow-up) कार्यवाही की जा सके।
- Primary Agricultural Credit Society (PACS) द्वारा किसानों को फसल बीमा पॉलिसी के लाभ के प्रति जागरूक किया जाय तथा अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा पॉलिसी से आच्छादित किया जाय।

3. Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion / New Branch Opening हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 2023

प्रमुख विन्दु –

अध्यक्ष महोदय, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

- समस्त बैंक, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा : पी.एम.जे.डी.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई., एवं पी.एम.जे.जे.बी.वाई. अंतर्गत आच्छादित खाताधारकों की संख्या में वृद्धि करें तथा ए.पी.वाई. में खाताधारकों की संख्या बढ़ायें।
- बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गांवों को बैंकिंग सेवाओं से आच्छादित किये जाने विषयक, एस.एल.बी.सी. हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित करें तथा माह जनवरी, 2024 में प्रगति विषयक समीक्षा बैठक आयोजित की जाय।
- बैंक, आई.पी.पी.बी. एवं कॉमन सर्विस सेन्टर, In-Active B.C. को Active करें अथवा उनके स्थान पर नये बी.सी. नियुक्त करें तथा बी.सी. को Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) द्वारा B.C. Certification Course, ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पूर्ण करायें।
- समस्त बैंक राज्य में डिजीटल जेशन प्रतिशत बढ़ाये जाने हेतु कार्य करें।

4. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2023

प्रमुख विन्दु –

अध्यक्ष महोदय, सचिव एवं आयुक्त, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

- बैंक अनुचित कारणों से ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त ना करें।
- त्रुटियों के निराकरण करने हेतु आवेदकों से सम्पर्क करें तथा ऋण आवेदन पत्रों का निष्पादन करें।

5. ऋण जमा अनुपात हेतु उप-समिति की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 2023

प्रमुख विन्दु –

अध्यक्ष महोदय, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

- Global Investors Summit 2023 में विभिन्न गतिविधियों यथा : Tourism, Industries, Power, Education, Ayush & Wellness, Healthcare, Agriculture, Horticulture, Civil Aviation, Housing, Logistics, IIT/Startup & Infrastructure अंतर्गत स्थापित होने वाली विभिन्न औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं को बैंक, ऋण सुविधा प्रदान कर, राज्य का ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु कार्यवाही करें।
- बैंक, big ticket size के ऋणों के साथ-साथ small ticket size के ऋणों पर फोकस करें तथा राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को ऋण प्रदान करें।

एजेण्डा संख्या – 3 :

विकसित भारत संकल्प यात्रा :

- भारत सरकार की प्रमुख जनलाभार्थी योजनाओं के संतुष्टीकरण हेतु लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने तथा विभिन्न आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय जन भागीदारी के माध्यम से जागरुकता बढ़ाने के लिये "विकसित भारत संकल्प यात्रा" का आयोजन दिनांक 15.11.2023 से 26.01.2024 तक किया जा रहा है। "विकसित भारत संकल्प यात्रा" में प्रत्येक ग्राम पंचायत को कवर किया जाना है।
- उक्त संकल्प यात्रा का उद्देश्य निम्नवत है :
 - Reaching the unreached – reach out to the vulnerable who are eligible under various schemes but have not availed benefit so far.
 - Dissemination of information and generating awareness about schemes.
 - Learning from the citizens – Interaction with beneficiaries of government schemes through personal stories / experiences sharing.
 - Enrolment of potential beneficiaries through details ascertained during the Yatra.
- बैंकिंग/वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित योजनाओं यथा : PMJJBY, PMSBY, PMJDY, APY, PM SVANidhi, PM Vishwakarma, Stand up India, Mudra, KCC के संतुष्टीकरण हेतु योजनाओं से वंचित लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें सम्बन्धित योजनाओं से आच्छादित किया जाना है।
- विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए समस्त बैंकों से आग्रह है कि Information Education Communication (IEC) वैन के रुट में आने वाली समस्त बैंक शाखायें पोर्टल पर नियमित रूप से डाटा अपलोड करें।
- सहकारी बैंक एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक से अनुरोध है कि नाबार्ड द्वारा वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत मंजूर किए गए FiDgi कैप्स को IEC वैन के रुट वाले गांवों में मुख्य विकास अधिकारी तथा नाबार्ड के डीडीएम के समन्वय से आयोजित करें।

बैंक शाखाओं द्वारा के.सी.सी. ऋण योजना अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों के डाटा को नियमित रूप से फसल ऋण पोर्टल पर अपलोड करना है।

Progress Report :

Total Sanction	Activitties				
	Agriculture Crops	Horticulture & Vegetable	Fishries	Animal Husbandry	Combind
9537	5722	1624	43	2057	91

एजेण्डा संख्या – 4 :

(क) घर-घर के.सी.सी. अभियान :

- कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अल्पकालिक कृषि ऋण से वंचित पी.एम. किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को के.सी.सी. के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु घर-घर के.सी.सी. अभियान दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक किया गया है।
- अभियान अंतर्गत कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SoP समस्त बैंकों को प्रेषित कर दी गयी थी।
- उक्त अभियान के अंतर्गत पी.एम. किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के साथ-साथ अन्य पात्र और इच्छुक कृषकों को के.सी.सी. उपलब्ध कराया जाना तथा के.सी.सी. का नवीनीकरण कराया जाना था।
- उक्त अभियान अंतर्गत कृषि/उद्यान/पशुपालन/डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा ऋण आवेदन पत्रों के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेजों को एकत्र कर ऋण आवेदन पत्रों के निपटान में बैंकों को सहयोग प्रदान किया जाय।
- राजस्व विभाग द्वारा भू अभिलेख की प्रति कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- समस्त मत्स्य पालक कृषकों को भी उक्त अभियान के अंतर्गत आच्छादित किया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा पी.एम. किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का विवरण PMFBY पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है तथा समस्त सम्बन्धित बैंक शाखाओं को पी.एम. किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का status दिनांक 31.12.2023 तक PMFBY पोर्टल पर निम्नवत update करना है :
 - बैंक द्वारा लिये गये के.सी.सी. ऋण का विवरण।
 - अन्य बैंक द्वारा लिये गये के.सी.सी. ऋण का विवरण।
 - के.सी.सी. ऋण के इच्छुक न होने का विवरण।
 - यदि इच्छुक है, तो ऋण आवेदन पत्र को अंकित करना।

(ख) किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान (KCC saturation Campaign) :

पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पशुपालन एवं मत्स्यपालन किसानों के लिए माह नवम्बर, 2021 से AHDF KCC संतृप्तता अभियान प्रारम्भ किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड – पशुपालन एवं मत्स्य पालन योजना अंतर्गत दर्ज प्रगति निम्नवत है :

(i) KCC – Animal Husbandry :

Progress As on	No. of applications received	No. of applications Accepted	No. of applications Sanctioned	Applications Rejected / Returned	Applications not traceable/ Unwilling to avail/ Unaware about the submission of applications	Applications Pending
30.09.2023	120546	119358	82628	12769	22633	1328
31.12.2023	126880	125692	84099	12969	23192	5432

(Source :- Jan Surksha portal)

(ii) KCC – Fisheries :

Progress As on	No. of applications received	No. of applications Accepted	No. of applications Sanctioned	Applications Rejected / Returned	Applications not traceable/ Unwilling to avail/ Unaware about the submission of applications	Applications Pending
30.09.2023	1738	1737	1130	232	224	151
31.12.2023	2086	2085	1344	240	234	267

(Source :- Jan Surksha portal)

के.सी.सी.-पशुपालन एवं मत्स्य पालन योजना अंतर्गत 15 बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा जन सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज की जाती है।

एजेण्डा संख्या – 5 :

(क) पी.एम. विश्वकर्मा योजना :

- पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों यथा : लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन (कुम्हार), बढईगीरी, मूर्तिकला, मोची, दर्जी आदि के उत्थान के लिये माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पी.एम. विश्वकर्मा योजना दिनांक 17.09.2023 को प्रारम्भ की गयी है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उन्हे औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है।
- योजना अंतर्गत आवेदक को First Tranche में रु. 1,00,000/-, जिसकी पुर्नभुगतान अवधि 18 माह होगी तथा Second Tranche में रु. 2,00,000/-, जिसकी पुर्नभुगतान अवधि 30 माह होगी, का ऋण 5 प्रतिशत की दर पर प्रदान किया जायेगा। ऋण सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) रहित तथा CGTMSE से कबर होगा। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रगति रिपोर्ट :

प्राप्त ऋण आवेदन पत्र	प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का सत्यापन			एस.एल.बी.सी. स्तर पर बचत खातों का सत्यापन
	प्रथम चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर	द्वितीय चरण में जिला स्तर पर	तृतीय चरण में राज्य नोडल अधिकारी स्तर पर	
14067	1510	1001	728	6234

(Source : MSME Deptt. Haldwani)

(ख) प्रधानमंत्री जनजातीय अदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) :

- दिनांक 15 नवम्बर, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उक्त अभियान प्रारम्भ की गयी है, जिसके तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के नागरिकों को के.सी.सी., पी.एम. जनधन योजना व जनसुरक्षा योजना आदि से लाभान्वित किया जाना है। उक्त अभियान के अंतर्गत राज्य के 05 जिलों यथा : देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं पौड़ी को शामिल किया गया है।
- उक्त अभियान में अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा सम्बन्धित विभाग से समन्वय कर कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है।

(ग) (i) शिक्षा ऋण :

(Amt. in Cr.)

Progress As on	Sanctioned during the year		Disbursed during the year		Education Loan outstanding	
	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
30.09.2023	2565	209.76	4405	113.06	22124	1156.76
30.06.2023	782	79.61	1590	38.26	20559	1011.47

Source : SLBC Revamp Portal

वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय त्रैमास तक शिक्षा ऋण श्रेणी में 2565 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 4405 ऋण आवेदन पत्रों में रु. 113.06 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

(ii) Central Sector Interest Subsidy (CSIS) Scheme :

- उक्त योजना शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गयी थी। योजना अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी वार्षिक आय रु. 4.50 लाख तक है, के छात्र/छात्राओं को ऋण स्थगन अवधि (moratorium period) के दौरान ब्याज उपादान (Interest Subsidy) प्रदान किया जाता है।
- वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक F.No. 21(23)/2014-FI (Mission Office) दिनांक 28.11.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त योजना विषयक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के उच्च अधिकारियों के साथ संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग द्वारा एक समीक्षा बैठक दिनांक 11.08.2023 को आयोजित की गयी थी, जिसमें योजना अंतर्गत low offtake एवं low number of claims के कारणों की जानकारी एवं सुझाव विषयक चर्चा की गयी थी।
- अतः समस्त बैंकों से आग्रह है कि वे उक्त योजना अंतर्गत अधिक से अधिक प्रगति दर्ज करें।

एजेण्डा संख्या – 6 :

वार्षिक ऋण योजना 2023-24 में प्राथमिकता क्षेत्र अंतर्गत ऋण उपलब्धि :

विगत 3 वर्षों की वार्षिक ऋण योजना में प्राथमिकता क्षेत्र अंतर्गत ऋण उपलब्धि :

As on 30.09.2023 :

(Amt. in Cr.)

F.Y.	Crop Loan			Term Loan			Farm Sector			Non Farm Sector (MSME)			Other Priority Sector			Total PSA		
	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age	Target	Achievement	% age
	Amt.	Amt.	%	Amt.	Amt.	%	Amt.	Amt.	%	Amt.	Amt.	%	Amt.	Amt.	%	Amt.	Amt.	%
2023-24	7646	2635	34	5500	2999	55	13146	5634	43	17506	13617	78	4287	1929	45	34939	21180	61
2022-23	7334	5649	77	5217	4704	90	12551	10353	82	11994	15911	133	4115	4160	101	28660	30424	106
2021-22	7181	5208	73	5118	3631	71	12298	8839	72	10454	10055	96	3859	2378	62	26611	21272	80
2020-21	7952	4098	52	5271	2396	45	13222	6493	49	8851	8624	97	3721	1177	32	25794	16294	63

Source : SLBC Revamp Portal

एजेण्डा संख्या – 7 :

रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत प्रगति :

Sr	Scheme	% of Achievement of Target 30.06.2023	% of Achievement of Target 30.09.2023	% of Achievement of Target 31.12.2023
1	MUDRA	25	59	102
2	PM SVANidhi	63	83	92
3	SCP – ST	...	26	85
4	NULM	16	48	84
5	NRLM	02	44	70
6	AIF (upto 2023-24)	17	28	57
7	PMFME	11	23	55
8	NLM	...	04	29
9	SCP - Minority	...	04	23
10	PMEGP	11	35	60
	Margin Money Target	Rs. 41.37 Cr.	Rs. 41.37 Cr.	Rs. 41.37 Cr.
	Margin Money Claimed	Rs. 14.15 Cr. (34%)	Rs. 25.32 Cr. (61%)	Rs. 41.66 Cr. (101%)

Source : PM SVANidhi, MUDRA, NULM, NRLM, PMEGP – Department Portal, Stand-up India – Banks, PMFME & AIF – Deptt.

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत प्रगति :

Sr	Scheme	% of Achievement of Target 30.06.2023	% of Achievement of Target 30.09.2023	% of Achievement of Target 31.12.2023
1	MSY	11	46	82
2	VCSGSY	08	43	50
3	Home Stay	08	28	47 (As on 30.11.2023)
4	MSY Nano	02	10	16

Source : VCSGY – Banks, Home Stay – Department, MSY & MSY – Nano – Department Portal

एजेण्डा संख्या – 8 :

(क) एन.पी.ए. :

(Amt. in Cr.)

	Total NPA		Total Advances		NPA Position (%)	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C (%)	Amt. (%)
As on 30 th Sept., 2023	1,84,393	4,469.70	26,41,375	97,177.08	6.98	4.60
As on 31 st March, 2023	1,90,830	4,716.66	22,17,193	76,216.51	8.61	6.19

Source : SLBC Revamp Portal

बैंकिंग को संपोषणीय (sustainable) बनाने हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों से आग्रह है कि वे बैंक के एन.पी.ए. खातों में वसूली हेतु बैंकों का सहयोग एवं सार्थक प्रयास करें, जिससे कि बैंक शाखायें सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण वितरण हेतु उत्साहित हों।

(ख) लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (R.C.) :

Progress as on 30.09.2023

(Amt. in Cr.)

S. No.	District	RCs Pending										Recovery against RC as on 30.09.2023		Recovery % of Amt.
		Less than 1 Year		1 Year to 3 Years		3 Years to 5 Years		More than 5 Years		Total R C Pending		No.	Amt.	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.			
1	Uttarkashi	547	3.23	175	0.93	62	0.18	7	0.02	791	4.36	171	1.14	26.15
2	New tehri	259	0.97	462	1.12	146	0.06	127	1.47	994	3.62	59	0.23	6.35
3	Pauri	661	6.38	510	2.69	65	0.98	44	0.22	1280	10.27	99	0.90	8.76
4	Chamoli	156	0.85	357	1.75	141	0.84	95	1.40	749	4.84	36	0.15	3.10
5	Pithoragarh	138	2.10	82	1.72	218	3.10	137	1.19	575	8.11	203	2.58	31.81
6	Rudraprayag	273	1.66	191	1.07	86	0.22	23	0.06	573	3.01	35	0.97	32.23
7	Bageshwar	100	0.88	23	0.03	0	0.00	0	0.00	123	0.91	39	0.51	56.04
8	Champawat	103	0.54	123	0.51	112	0.28	18	0.07	356	1.40	41	0.24	17.14
9	Almora	1014	9.07	394	4.39	155	1.23	76	0.35	1639	15.04	137	0.96	6.38
10	Dehradun	3427	55.92	854	16.35	573	6.96	92	1.05	4946	80.28	377	19.35	24.10
11	Haridwar	286	1.60	500	2.80	357	1.99	286	1.60	1429	7.99	599	5.98	74.84
12	Nainital	321	25.32	244	45.39	109	5.85	225	4.06	899	80.62	183	2.34	2.90
13	U.S.Nagar	458	6.41	448	5.49	102	4.40	0	0.00	1008	16.30	263	5.47	33.56
	TOTAL	7743	114.93	4363	84.24	2126	26.09	1130	11.49	15362	236.75	2242	40.82	17.24

Source : LDMs

- बैंक, तहसील दिवस में भागीदारी करें तथा अपने बैंक की आर.सी. से सम्बन्धित विषय पर ए.डी.एम., वित्त एवं तहसीलदार से चर्चा करें।
- बी.एल.बी.सी. बैठक में अनिवार्य रूप से नायब तहसीलदार को भी आमंत्रित किया जाय तथा आर.सी. में वसूली हेतु सहयोग की अपेक्षा की जाय।
- बैंकों से आग्रह है कि वे ऑनलाईन दर्ज की गयी आर.सी. का मिलान तहसील से अवश्य करें।
- शासन से आग्रह है कि आर. सी. अंतर्गत वसूल राशि को पोर्टल में दर्ज कराने की व्यवस्था करें।

एजेण्डा संख्या – 9 :

नाबार्ड एजेण्डा :

(क) परियोजना निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति (पीएमआईसी) के सदस्य के रूप में नाबार्ड कार्यक्रमों में भागीदारी :

नाबार्ड विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों को गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पात्र एजेंसियों के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में लागू करता है तथा इन परियोजनाओं की निगरानी एवं कार्यान्वयन के लिए एक समिति का प्रावधान है, जिसमें बैंक भी एक सदस्य है। अतः सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध है कि वे अपनी बैंक शाखाओं के अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे निगरानी और कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लें।

(ख) वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल) का उन्नयन :

नाबार्ड द्वारा मार्च, 2023 में फेज-2 के अंतर्गत राज्य में 16 सीएफएल के लिए रु. 6.24 करोड़ की मंजूरी दी गयी है। जिन सम्बन्धित बैंकों द्वारा दावे (क्लेम) प्रेषित नहीं किये गये हैं, उनसे आग्रह है कि वे अतिशीघ्र दावे (क्लेम) प्रेषित करें।

(ग) बैंकिंग प्लान – बकरी पालन :

राज्य के कृषि क्षेत्र में Ground Level Credit (GLC) व संबद्ध कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु नाबार्ड द्वारा बकरी पालन पर रु. 89.20 करोड़, जिसमें रु. 53.52 करोड़ बैंक ऋण शामिल है, का राज्य स्तरीय बैंकिंग प्लान तैयार किया गया है। बैंकों से आग्रह है कि वे उक्त योजना अंतर्गत ऋण प्रदान करें।

एजेण्डा संख्या – 10 :

स्वामित्व कार्ड :

- संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं डी.जी., ग्रामीण विकास बैंकर्स संस्थान की सह अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2023 को स्वामित्व कार्ड विषयक Round Table Conference का आयोजन लखनऊ में किया गया था, जिसमें वित्तीय सेवायें विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण विकास बैंकर्स संस्थान, राज्य सरकार एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रतिभागिता की गयी थी तथा SoP तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- बैंकों के बोर्ड द्वारा उक्त विषयक SoP बनाया जाना प्रतीक्षित है।
- उक्त बैठक में Commissioner, Board of Revenue, Uttarakhand एवं Convenor, SLBC, Uttarakhand द्वारा प्रतिभागिता की गयी थी।

एजेण्डा संख्या – 11 :

बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित गाँव :

वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.10.2023 को ई-मेल के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में जन धन दर्शक ऐप के अनुसार निम्नांकित 04 गांव बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित है :

District Name	Sub District Name	Village Code	Village Name	Total Population	Allocated Bank	Allocated Sponsored Bank
Uttarkashi	Rajgarhi	040285	Jakhali	82	IPPB	Indian Post Payment Bank
Chamoli	Joshimath	040829	Dumak	311	IPPB	Indian Post Payment Bank
Rudraprayag	Ukhimath	042054	Garuriya	10	SBI	State Bank of India
Bageshwar	Kapkot	050517	Bor Balra	324	IPPB	Indian Post Payment Bank

- बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित उपरोक्त 04 गांवों में से 03 गांव (ग्राम जखाली, जिला उत्तरकाशी, ग्राम डुमक, जिला चमोली एवं ग्राम बोर बरला, जिला बागेश्वर), आई.पी.पी.बी. द्वारा आच्छादित कर दिये गये हैं।

- जिला रुद्रप्रयाग की डी.एल.आर.सी. बैठक में ग्राम गरुड़िया, जिला रुद्रप्रयाग विषयक अवगत कराया गया है कि उक्त गांव में वर्तमान में मात्र 10 साधु निवास कर रहे हैं। अतः उक्त गांव को बैंकिंग सुविधा की आच्छादता से मुक्त किया जाय।
- सदन से आग्रह है कि जिला रुद्रप्रयाग की डी.एल.आर.सी. बैठक की संस्तुति के आधार पर ग्राम गरुड़िया, जिला रुद्रप्रयाग को बैंकिंग सुविधा की आच्छादता से मुक्त किया जाय।
- IPPB से आग्रह है कि आच्छादित गांवों, Jakhali, Dumak एवं Bor Balra को जन-धन दर्शक ऐप में अपडेट करें।

एजेण्डा संख्या – 12 :

Land Digitalization :

Cadstral Map Digitalization Status :

	District	Total MAP Sheet	Village	Raster Scanning			Digitization and Georefrencing			Printing Stage
				Scanned Sheet	Blurred or Cropped Village Maps	Balance Village Sheet for Scanning	Final Sheet	Final Village	Village %	Print Sheet
A	Dehradun	2088	797	2071	132	17	1334	701	87.95	703
	Haridwar	638	643	633	20	5	621	601	93.47	557
	US Nagar	1322	684	1313	16	9	1252	634	92.69	671
	Nainital	4927	1094	4927	138	0	2009	541	49.45	160
B	Chamoli	3307	1263	3307	89	0	2301	904	71.58	176
	Rudrapraygag	2365	682	2365	57	0	3019	534	78.30	200
	Tehri	9624	1868	9624	68	0	5109	783	41.92	150
	Bageshwar	7408	910	7408	15	0	7101	671	73.74	0
C	Champawat	7251	691	7250	28	1	6119	607	87.84	0
	Uttarkashi	7705	692	7705	51	0	6119	526	76.01	0
	Pithoragarh	13199	1639	13198	66	1	4401	387	23.61	0
Total of 11 District		59834	10963	59801	680	33	39385	6889	62.84	2617
D	Almora	16978	2251	16978	0	0	12007	809	35.94	Only
	Pauri	8004	3473	8004	0	0	6109	1505	43.33	Georefrencing
Total of 13 District		84816	16687	84783	680	33	57501	9203	55.15	

Source : Revenue Deptt.

राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड से प्राप्त उपरोक्त सूचना अनुसार राज्य में कुल 16687 गांवों में से 9203 गांवों का digitization हुआ है, जिसका प्रगति प्रतिशत 55.15 है।

एजेण्डा संख्या – 13 :

प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत जिला बागेश्वर में ऋण प्रवाह :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि विगत तीन वित्तीय वर्षों यथा : 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के आंकड़ों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि जिला बागेश्वर में प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत ऋण प्रवाह की प्रगति निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बहुत कम है।

ऋण प्रगति :

(Amt. in Cr.)

2020-21			2021-22			2022-23		
Target	Achievement	%	Target	Achievement	%	Target	Achievement	%
301.12	109.70	36.43	328.53	137.25	41.78	342.65	144.95	42.30

बैंक नियंत्रकों से आग्रह है कि वे जिला बागेश्वर में कार्यरत अपनी शाखाओं को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु निम्नवत निर्देशित करें :

- बैंकों द्वारा सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत एवं small ticket size के अधिक से अधिक ऋण प्रदान किये जायं।
- बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में AIF, National Live Stock Mission आदि योजनाओं अंतर्गत ऋण प्रदान किये जायं।

एजेण्डा संख्या – 14 :

बाजार की बुद्धिमत्ता (Market Intelligence) :

Ponzi Schemes/Illegal Activities of Unincorporated Bodies/Firms/Companies Soliciting Deposits from Public :

वित्तीय वर्ष 2023–24 के द्वितीय त्रैमास में इस विषयक राज्य में कार्यरत बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से एस.एल.बी.सी. को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है।

एजेण्डा संख्या – 15 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

.....